प्रेस विज्ञप्ति

31.01.2024

प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 23/01/2024 और 24/01/2024 को त्रिशूर में हाईरिच ऑनलाइन समूह की कंपनियों के व्यावसायिक परिसरों और दो कंपनी निदेशकों के आवासों पर तलाशी अभियान चलाया। मैसर्स गिप्रा बिजनेस सॉल्यूशन पी लिमिटेड, कोच्चि के परिसर में भी तलाशी अभियान चलाया गया, जो हाईरिच ऑनलाइन ग्रुप के लिए सॉफ्टवेयर और रिकॉर्ड का रखरखाव कर रहे थे। तलाशी अभियान के दौरान, मैसर्स हाईरिच स्मार्टटेक पी लिमिटेड, मैसर्स हाईरिच ऑनलाइन शॉपी प्राइवेट लिमिटेड, इसके प्रमोटरों और संबंधित कंपनियों द्वारा सावधि जमा और बैंक जमा के रूप में 212.45 करोड़ रुपए की चल संपत्ति या पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत जब्त और बरामद की।

प्रवर्तन निदेशालय ने आईपीसी, 1860 की धारा 420 के प्रावधानों के तहत केरल पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर और हाईरिच ग्रुप और उसके निदेशकों के खिलाफ प्राप्त कई शिकायतों के आधार पर जांच शुरू की। तलाशी अभियान के दौरान, उक्त समूह के मुख्य परिचालन अधिकारी और विपणन प्रबंधक को उनकी मल्टी-लेवल मार्केटिंग पोंजी योजना के माध्यम से उनके द्वारा की गई अनियमितताओं और शिकायत के बारे में तथ्यों से रूबरू कराया गया कि उन्होंने जनता को फर्जी एमएलएम योजना में फंसाकर 1157.32 करोड़ रुपए धोखाधड़ी कर आर्थिक लाभ प्राप्त किया। इस प्रकार एकत्रित धन का उपयोग टिपिकल पोंजी योजना प्रारूप में प्रोत्साहन/कमीशन के रूप में सदस्यों को पुनर्वितरित करने के लिए किया गया। बाकी पैसा आरोपी कंपनी और प्रमोटरों ने हड़प लिया।

प्रवर्तन निदेशालय की जांच में यह भी पता चला कि मैसर्स हाईरिच स्मार्टटेक पी लिमिटेड अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने के लिए क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा देने और इसके व्यापार का दावा करता है। हालाँकि, अभी तक कोई एक्सचेंज नहीं किया गया है और कंपनी ने अत्यधिक ब्याज और वार्षिक मुनाफे के वादे पर ग्राहकों को अपनी एचआर क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने के लिए मनाकर अनुचित लाभ कमाने के इरादे से ग्राहकों से 20 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि एकत्र की थी। इसके अलावा, नए ग्राहकों के आने पर प्रोत्साहन का भी वादा किया गया।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।